भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 661

22 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

एमएसपी का कार्यान्वयन

661. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2026-27 के दौरान टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बाजरा और मक्का के लिए स्वीकृत खरीद केंद्रों की संखया और उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खरीद एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया है कि टोंक जिले के किसान औने-पौने दामों पर अपने उत्पाद बेचने को मजबूर न हो और उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेच सकें;

(ग) यदि हां, तो टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुपालन की पुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र संपरीक्षा कराई जा रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारत सरकार की खरीद नीति के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा मोटे अनाजों की खरीद विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति में की जाती है।

खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2026-27 के दौरान टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में मिलेट (श्री अन्न) तथा मक्का के खरीद केंद्रों की संख्या एवं स्थान को राज्य सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है चूंकि राज्य में केएमएस 2026-27 मौसम के तहत खरीद अभी प्रारंभ होना शेष है।

तथापि, रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2026-27 के दौरान टोंक तथा सवाई माधोपुर जिले में 10 खरीद केंद्रों के माध्यम से 7772 किसानों से कुल 40089 टन गेहूं की खरीद की गई।

...2/-

(ख): खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान किसानों को खरीदी गई मात्रा के अनुसार किया जाता है, जिससे उन्हें अधिसूचित एमएसपी पर अपनी उपज बेचने में सुविधा होती है।

(ग): छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों को खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, खरीद मौसम प्रारंभ होने से पूर्व व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि एमएसपी खरीद प्रक्रिया, पंजीकरण प्रक्रिया और भुगतान के संबंध में जानकारी का प्रसार किया जा सके। इसके अलावा, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्यान्न के एमएसपी का भुगतान किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में उनकी उपज की खरीद के 48 घंटों के भीतर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।

(घ) और (ङ): राजस्थान में एमएसपी के अनुपालन की पुष्टि के लिए कोई विशिष्ट स्वतंत्र लेखापरीक्षा नहीं की जा रही है।
